उत्तर प्रदेश सरकार

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7

संख्या-9/2017/621/29-7-2017-पी0बी0-3/79

लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या-7 सन् 1980) की धारा-9 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ परामर्शदात्री परिषद का पुनर्गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

1	मा0 न्यायमूर्ति श्री डी0के0अरोरा, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2	मा0 न्यायमूर्ति श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	सदस्य
3	मा0 न्यायमूर्ति श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वितीय, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	सदस्य

आज्ञा से,

निवेदिता शुक्ला वर्मा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-9/2017/621/(1)/29-7-2017- पी0बी0-3/79 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के अग्रेंजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित करने का कष्ट करें और इस अधिसूचना की गजट में प्रकाशित 25 (पच्चीस) प्रतियां खाद्य एवं रसद अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन, नवीन भवन, लखनऊ को अविलम्ब भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

संख्या-9/2017/621/(2)/29-7-2017- पी0बी0-3/79 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ को तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित मा0 न्यायामूर्तिगणों के सूचनार्थ।
2- सचिव, भारत सरकार, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- अर्थिक सलाहकार, भारत सरकारक, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधायिका विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ।
10- गृह (कारागार) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
11- गोपन अनुभाग-5/7 उ0प्र0 शासन।
12- खाद्य एवं रसद/उपभोक्त संरक्षण एवं बाट माप सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
13- रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश परामर्शदात्री परिषद (निरूद्धियॉ) मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Khadya Evm Rasad Anubhag-7

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the constituion, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-9 /2017/621/29-7-2017-P.B.3/79, dated 28 November, 2017.

Notification

No-9/2017/621/29-7-2017-P.B.3/79
Lucknow: dated: 28 November, 2017

In exercise of the powers under section 9 of the Prevention Of Black Marketing and Maintenance Of Supplies Of Essential Commodities Act, 1980 (Act no.7 of 1980), and in supersession of Government Notifications issued earlier in this behalf, the Governor, on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to reconstitute for the purposes of the said Act, an Advisory Board consisting of the following persons to be the Chairman and Members thereof :-

1.	Hon'ble Mr. Justice D.K. Arora, Judge, High Court of Judicature at Allahabad.	Chairman
2.	Hon'ble Mr. Justice Shri Kant Tripathi Judge. High Court of Judicature at Allahabad.	Member
3.	Hon'ble Mr. Justice Brijesh Kumar Srivastav-II, Judge. High Court of Judicature at Allahabad.	Member

By Order,

Nivedita Shukla Verma
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।